

UPME010031062026



न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर मिश्र (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ०कोड संख्या यू०पी०-6292

दाण्डिक वाद सं०-560/2026

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोगी

प्रति

1- बजरुद्दीन पुत्र जहीर, निवासी ग्राम आड, थाना मुण्डाली, जिला मेरठ।

.....अभियुक्त

मु०अ०सं०-5560/2022

धारा-135 विद्युत अधिनियम

थाना-ए०पी०टी०, जिला मेरठ।

निर्णय

1- विवेचक एस०आई० रेनू त्यागी उपनिरीक्षक ए०पी०टी०, जनपद मेरठ के द्वारा मु०अ०सं०-5560/2022, धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना- ए०पी०टी०, जिला मेरठ के प्रकरण में विवेचना के उपरान्त अभियुक्त बजरुद्दीन पुत्र जहीर के विरुद्ध धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह आपराधिक वाद सृजित हुआ है तथा अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी सूर्य प्रताप कुशवाहा अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपकेन्द्र मुण्डाली, मेरठ द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी० जनपद मेरठ को इस आशय की लिखित सूचना प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 17.08.2022 को उनके द्वारा अन्य कर्मचारीगण के साथ विद्युत चैकिंग के दौरान अभियुक्त अपने स्वीकृत संयोजन के मीटर की इनकमिंग केबिल में मीटर से पूर्व कट लगाकर उस कट पर दो कोर केबिल जोड़कर केबिल के दूसरे सिरे से अपने परिसर पर विद्युत की सीधी चोरी करते पाये गये। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०-5560/2022 अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला मेरठ पर दिनांक 18.08.2022 को पंजीकृत हुआ।

3- प्रकरण की विवेचना, विवेचक को हस्तगत की गयी, जिसके द्वारा विवेचना के मध्य साक्षीगण के अभिकथन अंकित किये गये, घटनास्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया तथा

अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है।

4- अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक (विद्युत) को सुनने के उपरान्त दिनांक 16.07.2026 को अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 की धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की। अतः पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

5- अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी-1 के रूप में कां० अक्षय कुमार को सशपथ परीक्षित कराते हुए अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में घटनास्थल का नक्शा-नजरी प्रदर्श क-1, आरोप पत्र प्रदर्श क-2 साबित कराये गये हैं। अभियोजन के द्वारा पत्रावली पर अपना साक्ष्य समाप्त किये जाने पर पत्रावली अभियुक्त के कथन धारा 313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गयी।

6- अभियुक्त के अभिकथन अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये हैं जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन को गलत कहा तथा साक्षी के कथन के सम्बन्ध में गलत गवाही दी है कहा और झूठा मुकदमा चलना बताया।

7- अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर बचाव साक्ष्य के रूप में नोटिस व अधिशासी अभियन्ता द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी० कंकरखेड़ा, मेरठ को प्रेषित पत्र की प्रति दाखिल की गयी है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा पत्रांक संख्या 3259 वि०वि०खं०चतुर्थ, मेरठ दिनांकित 14.01.2024 के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण की धनराशि 8,000/- रुपये रसीद संख्या 060401531970 दिनांक 21.12.2023 एवं एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत कुल राजस्व निर्धारण का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि 8043.00/- रुपये रसीद संख्या 060890250314 दिनांक 14.12.2023 एवं राजस्व निर्धारण का 40 प्रतिशत धनराशि 24132.00/- रुपये रसीद संख्या 060220335940 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से विद्युत विभाग को अदा की गयी है, जिसकी प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है। जिसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा पत्रांक 3259 वि०वि०खं० चतुर्थ, मेरठ दिनांक 14.01.2024 से सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी० कंकरखेड़ा, जिला मेरठ को सम्बोधित करते हुए पृष्ठांकित की गयी है।

8- उभय पक्षों का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

9- मैंने विद्युत विभाग के विद्वान विशेष अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

10- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग को देय शमन शुल्क धनराशि जमा कर दी गयी है।

11- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 कांस्टेबल अक्षय कुमार ने अपने साक्ष्य में मामले की विवेचना को उपनिरीक्षक रेनू त्यागी के द्वारा किये जाने का कथन करते हुए उनके द्वारा तैयार किये गये नक्शा नजरी को प्रदर्श क-1 तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है।

12- इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी।

13- अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, अपितु अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी० कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ को सम्बोधित पत्रांक 3259 वि०वि०खं० चतुर्थ द्वितीय मेरठ दिनांक 14.01.2024 से सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी० की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा शमन धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दी गयी है। यह पत्र विभागीय अधिवक्ता एवं संबंधित उपभोक्ता को पृष्ठांकित है, इस पत्र के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं है। उक्त प्रलेखों को विद्युत विभाग के विशेष अभियोजक द्वारा असत्य होने का कोई कथन नहीं किया गया बल्कि उसकी सत्यता को स्वीकार होने का कथन ही बहस के समय किया गया।

14- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152(2) के प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि यदि अभियुक्त ने विद्युत अधिनियम की धारा 152(1) के अनुसार विद्युत विभाग में अपराध का शमन करा लिया है, तो यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे स्वतन्त्र किया जायेगा, और किसी दाण्डिक न्यायालय में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध कोई दाण्डिक वाद संस्थित नहीं किया जायेगा अथवा कोई दाण्डिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जायेगी।

15- धारा-152(3) विद्युत अधिनियम में यह भी उपबन्धित हैं, कि धारा-152(1) के अनुसार अपराध का समाधान करने के लिए धनराशि की स्वीकृति का दं०प्र०सं० 1973 की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्ति के समतुल्य माना जायेगा, क्योंकि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क तथा राजस्व निर्धारण जमा करा दिया गया है। अतः अभियुक्त धारा 152(3) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने का अधिकारी है।

16- अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी ऐसा कोई अपराध किया गया हो।

17- अभियुक्त ने विद्युत विभाग में नियमानुसार शमन शुल्क जमा करके अपराध का शमन करा लिया है। जैसा कि अधिशासी अभियन्ता के पत्र से भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अपराध को समाप्त किये जाने की याचना की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये अपराध आरोप को बल मिलता हो। अतएव इस निर्णय का उपसंहार करते हुए इन परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा जुर्माना/शमन शुल्क एवं अन्तिम राजस्व निर्धारण समस्त बकाया जमा किये जाने के आधार पर अभियुक्त धारा 135

भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **बजरुद्धीन पुत्र जहीर**, निवासी ग्राम आड, थाना मुण्डाली, जिला मेरठ को मु०अ०सं०-5560/2022 अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना- ए०पी०टी०, जिला मेरठ के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहीत हो।

दिनांक- 21.07.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 21.07.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।